

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक / / 2026

सं० सं०-2/एल-119/2025-

/स्वा०,

डा० कुमारी रश्मि,

दन्त चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोंच, गयाजी द्वारा दिनांक-25.08.2025 से 05.10.2025 तक की उपभोगित अवधि कुल-42 (बयालीस) दिनों को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1984(25), दिनांक-17.09.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इस अवकाश के पश्चात डा० रश्मि का 642 (छः सौ बयालीस) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-119/2025-

321 (2)

पटना, दिनांक 13/2/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गयाजी/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोंच, गयाजी/कोषागार पदाधिकारी, गयाजी/डा० कुमारी रश्मि, दन्त चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोंच, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विनोद कुमार पाठक  
सरकार के उप सचिव।

—